कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाऐं, बून्दी जिला बून्दी (राज.)

दिनांक :– 18-02-15

क्रमांक :– फा.( )संस्था रजि. / बून्दी / 227

श्री अनिल गुप्ता
अध्यक्ष, विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति,
स्वामी विवेकानंद रा.मॉडल विद्यालय, हिण्डोली,जिला बून्दी (राज.)

द्वारा :– प्रधानाचार्य,
स्वामी विवेकानन्द राजकीय
मॉडल विद्यालय, हिण्डोली

विषय :– राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक **73 / बून्दी / 2014–15** दिनांक **18.02.2015** संलग्न है। जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4 (क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिवर्ष आमसभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनायें भेजना जरूरी हैं।

1. संस्था के मामलो का प्रबन्ध जिसको सौंपा गया है उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद के।
2. एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है, के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।
3. संस्था के नियमों और विनियमों की एक तातारीख सही प्रतिलिपि जो शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासों या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर इस कार्यालय को पहुंच जानी चाहिये।

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की और आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर, ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो पांच सौ रूपये तक का हो सकता है तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि ऐसे अपराध के लिये प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात् चूक जारी रहती है, पचास रूपये से अधिक नही होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में या धारा 4 "क" के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण पत्र या नियमों और विनियमों को या उनमें किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता या करवाता है तो वह अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। जो दो हजार रूपये तक का हो सकता है।

नोट :– इस कार्यालय से भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन नं. एवं वर्ष अंकित करें।

संलग्न :– पंजीयन प्रमाण पत्र एक तथा
संघ विधान पत्र एवं विधान नियमावली की प्रतियां

(कन्हैया लाल मीणा)
रजिस्ट्रार
संस्थाऐं बून्दी जिला,बून्दी
(राज.)

राजस्थान – सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक :– 73/बून्दी/2014–15

प्रमाणित किया जाता हैं कि **विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय, हिण्डोली, जिला बून्दी (राजस्थान)** का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण–पत्र मेरे हस्ताक्षर और कार्यालय की सील से आज दिनांक 18 माह फरवरी सन् 2015 को बून्दी में दिया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाएं जिला, बून्दी (राज.)

(कन्हैया लाल मीणा)
रजिस्ट्रार
संस्थाऐ बून्दी जिला, बून्दी
(राज.)